न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2020/00048 (48/2020) 223 आरटीएक्ट

1. भागीरथ पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरलाल
3. भजनलाल
4. भोजराज

} पि0 सुल्तान जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।–अपीलाण्ट

बनाम

1. इमीलाल पुत्र डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. सोहनलाल पुत्र डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (फौत)

   2/1 विमला पत्नी सोहनलाल
   2/2 प्रकाश पुत्र सोहनलाल
   2/3 सुरेन्द्र पुत्र सोहनलाल

   } रावतसर जिला हनुमानगढ।

   2/4 सरोज पुत्री सोहनलाल पत्नी भजनलाल जाति जाट गोदारा साकिन करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

   2/5 विनोद पुत्री सोहनलाल पत्नी कालूराम जाति जाट गोदारा साकिन करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. भागीरथ
4. किशनी

} पुत्र पुत्री डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवावली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

5. गीता पुत्री डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (फौत)

   5/1 ओमप्रकाश पुत्र
   5/2 पप्प दूवी पुत्री
   5/3 भंवरी देवी पुत्री
   5/4 रायसाहब पुत्र
   5/5 श्रवण पुत्र
   5/6 शारदा पुत्री

   } जाति जाट सानिक हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. सन्तो पुत्री डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. अर्जनराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. कमला पुत्री बीरबल पत्नी [illegible] तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. गुलाबी पुत्री बीरबल पत्नी [illegible] जाति जाट [illegible] गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. महावीर पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी ऐटा [illegible] सूरतगढ जिला श्री[illegible]
11. राकेश पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

12. दर्शना पुत्री सन्तराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
13. गौमती पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. रामेश्वरी पत्नी सुल्तान जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.02.2020 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0स0 392/2017 पुराना 178/96 बअनवानी डूंगर आदि बनाम बीरबल आदि

श्री विजय कौशिक अधिवकता अपीलाण्ट

श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 10 ता 12 व 14

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, 2/1 से 2/5, 5/2, 5/3, 5/6

श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 15

निर्णय दिनांकः— 26.11.2020

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 6 के पूर्वज ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि चक 3 जेबीडी में कुल 16 बीघा वादी के पूर्व 1955 की भूमि थी जिन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु प्रतिवादीगण ने साठागांठ कर उक्त भूमि में से प0 नं0 234/27 के किला नं. 21 अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज करवा ली एवं कभी भी कब्जा छीन सकते हैं इसलिए वादी ने उक्त किला नं. 21 की खातेदारी की घोषणा करने एवं प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करने वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज कर दिया एवं उसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपील को स्वीकार किया जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 23.12.2013 को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2020 के द्वारा वाद डिक्री कि[illegible] व्यथित होकर अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 [illegible] साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:36 IST
Reason: SelfAttested

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि किला नं. 21 की भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों की पुरानी खातेदारी भूमि है। इस मुरब्बा में अन्य किला नं0 1 ता 10, 12 ता 19, 22 भी स्व0 श्री नंदराम के वारिसान बीरबल, सुल्तान, व गोमती के सह खातेदारी में आज भी दर्ज हैं एवं इस मुरब्बा के किला नं0 11 व 20 जो आराजीराज दर्ज थे परन्तु अपीलाण्ट व स्व0 नन्दराम के अन्य वारिसान के मध्य में होने भागीरथ बीरबलराम की इसमें मौके ढाणी बनी हुई है एवं किला नं. 21 की भूमि पर मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा है एवं उसी की काश्त है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं स्व0 नन्दराम के वारिसान को बिना सुने कतई एकपक्षीय आदेश परित कर दावा डिक्री किया है।

4. माननीय राजस्व मण्डल ने यह अवधारणा पारित की थी प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि होने संबंधि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया एवं विचारण न्यायालय को यह भी निद्रेश दिये थे कि वे यह जांच करे कि सनद जारी होने के दिन दिनांक 21.05.1984 को क्या यह भूमि राजकीय भूमि थी परन्तु ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही होते हुए भी विचारण न्यायालय ने विधि विरूिद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय मृतक सुल्तान प्रतिवादी सं0 2 जिनके वारिसान अपलाण्ट संव 2 ता 4 है उन्हें बिना पक्षकार बनाये उनकी पीठ पीछे पारित किया गया है जबकि उनकी ओर से अधिवक्ता अमरसिंह का कोई वकालतनामा नहीं था। पटवारी की रिपोर्ट में ख0 नं0 21 की भूमि प्री–55 होनी वादी ने बताया एवं प.नं. 234/27 (31) की 1 बीघा पर अधिकारों की घोषणा चाही परन्तु अपील में प्रस्तुत सूची नं0 4 से सिद्ध है कि किला नं0 प0 नं0 234/27 (31) किला नं. 21 ही एक बीघा ख0 नं0 178 से बना है। जमाबन्दी व पर्चा खतौनी में अपीलाण्ट के पूर्वज डूंगर की प्रश्नगत भूमि खातेदारी दर्ज धारा 140 एलआरएक्ट के तहत कब्ज रिकार्डे खातेदारी का होने का है। धारा 145–146 सीआरपीसी की रिपोर्ट एवं एफआईआर में भी कब्जा रेसपोडेण्ट संख्या 1 विपक्षी का सिद्ध नहीं होता है। दावा के रोज कब्जा रेस्पा0 सं0 1 का नहीं है इसलिए सिर्फ 88 आरटीएक्ट का वाद बिना कब्जा पोषणीय नहीं है। जहां तक रेस्पो0 सं0 1 के हक में सनद जारी होन के प्रश्न हें प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज की खातेदारी भूमि दर्ज रही है इसी कारण अभिलेख में पूर्व में कभी भी इन्द्राज रेस्पो0 अथवा उसके पूर्वज के नाम से दर्ज नहीं हुआ क्योंकि प्रश्नगत भूमि [illegible] नं0 21 की होने के आधार पर प0 नं0 237/27 (31) कि[illegible] रेस्पो0 नं0 1 वादी के दावा में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर होना कहा है [illegible] सूचि नं0 4 से सिद्ध है कि पूर्व ख0 नं0 178 से प0 नं0 234/27 (31) के कि[illegible]0 21 की एक बीघा भूमि बनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

इसलिए सनद से सम्बन्धित आदेश एवं कार्यवाही जिसमें अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था तथ्य इस प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

5. प्रतिवादी सं0 2 सुल्तान पुत्र नन्दराम दिनांक 21.10.2015 को फौत हो चुका था उसके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। सुल्तान के फौत होने के कारण दावा अबेटमेन्ट हो चुका था इसलिए अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के खिलाफ होने से कानूनन शून्य है एवं काबिल अपास्त है। उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार हैं इसलिए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। अपीलाण्ट प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकार नहीं था इसलिए अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। इसलिए डिले कन्डोन की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 आरआरटी पेज 64, आरआरडी 1993 पेज 246, आरआरटी 2017 पेज 10004 एससी, 1989 आरआरडी पेज 49, आरआरडी 2009 पेज 137, एआईआर 1989 पेज 1582 एस.सी. के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2/1 से 2/5, 5/2, 5/3, 5/6 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण उपस्थित रहे हैं और इनके अधिवक्ता श्री बनभेरू के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था व अधीनस्थ न्यायालय ने दोनां पक्षों की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। इस भूमि पर अपीलार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा। इस भूमि पर हमेशा ही प्रतयर्थीगण काबिज रहे हैं जिस पर डूंगरराम पुत्र रतीराम सन् 1955 से लगातार काबिज चले आ रहे हैं उन्हें इसी आधार पर पुख्ता आवंटित की गई थी। आवंटन पत्रावली में भी प. नं. 234/27 का किला नं0 1 को सम्मिलित करते हुए 19 बीघा भूमि डूंगर पुत्र श्री रतूराम जाति जाट निवासी हरदासवाली को आवंटित करते हुए दिनांक 21.05.1984 के खातेदारी अधिकार दिये गये थे। बाद में हमला साज बाज कर अपीलार्थीगण ने इस किला नं0 21 को अपने नाम दर्ज करवा लिया इस अवैध कार्यवाही के विरूद्ध श्री डूंगरराम पुत्र रतूराम वाद प्रस्तुत हुआ जिसकी अपील दर अपील चलकर अंत में 20.02.2020 को डिक्री हुआ, जिसके अनुसरण में नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है वास्तविक तौर पर वही काबिज चल आ रहा है। प्रत्यर्थी सं0 1 को जबरन बेदखल करने के लिए [illegible] से साज बाज करते हुए अन्य किला संख्या 11 व 20 को सम्मिलित करते हुए [illegible] झूठी कहानी बनाकर मौके पर इस 3 बीघा भूमि के कब्जे को लेकर विवाद होना दर्शाया व पुलिस की मदद से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:36 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

इस्तगासा प्रस्तुत करवा कर मुरब्बा नं0 31 के किला नं. 11, 20, 21 को कुर्क कर उस पर तहसीलदार रावतसर को रिसीवर कायम करवा दिया कागजात में यह भी भूमि दिनांक 19.05.2020 से रिसीवर चली आ रही है परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य को अपीलाण्ट ने नहीं बाताया है। किला नं. 21 में अपीलाण्ट की ढाणी बने होने संबंधि कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट ख़ारिज़ की जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलाकन किया।

8. अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.202 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। स्व0 सुलतान दौराने वाद दिनांक 21.10.2015 को फौत हो चुका था। अपीलाण्ट स्व0 सुलतान के वारिसान हैं एवं सुलतान के वारिसान को बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित होने से अपीलाण्ट प्रत्यक्षतः पीड़ित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट को बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

9. अपीलाण्ट स्व0 सुलतान के वारिसान है, स्व0 सुलतान का देहान्त दौराने दावा हुआ है। उसके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान न होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

10. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को जोकि प्रमाणित दस्तावेज हैं एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज हैं इसलिए अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

11. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मौजूदा प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट में ख0 नं0 21 की भूमि पूर्व 55 की होनी बताया है एवं वादी ने प0 नं0 234/27 (31) किला नं. 21 की 1 बीघा भूमि के अधिकारों की घोषणा चाही है। परन्तु अपील में संलग्न सूची नं0 4 से सिद्ध है कि प0 नं0 234/27 (31) का किला नं. 21 की 1 बीघा खसरा नं. 178 से बना है। जमाबन्दी व पच... अपीलाण्ट के पूर्वज (डूंगर) की प्रश्नगत भूमि खातेदार दर्ज... धारा 140 एलआर... के तहत रिकार्डेड खातेदार का कब्जा काश्तकार का होने ... है। धारा 145–146 ...जारकर्ता की रिपोर्ट एवं एफआर में भी कब्जा रेसपोडेण्ट सं0 1 विपक्षी का सिद्ध नहीं होता है जबकि दावा के रोज वादी का कब्जा होना आवश्यक है। इसलिए सिर्फ धारा 88 आरटीएक्ट का वाद बिना

इन्द्राज" order w'ok Dated 3-12-20

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

कब्जा के पोषणीय नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोडेण्ट ने प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि राजस्व अभिलेख में पूर्व में कभी भी इन्द्राज रेस्पोडेण्ट अथवा उसके पूर्वज के नाम से दर्ज हुआ हो। प्रश्नगत भूमि पूर्व ख0 नं0 21 की होने के आधार पर प0 नं0 237/27 (31) किला नं. 21 की 1 बीघा भूमि होना रेस्पोडट नं0 1 वादी ने अपने दावा में बताया है परन्तु सूची नं0 4 से सिद्ध है कि पूर्व ख0 नं0 178 से प0 नं0 234/27 (31) के किला नं. 21 की एक बीघा भूमि बनी है इसलिए सनद से सम्बन्धित आदेश एवं कार्यवाही जिसमें अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था उसमें किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एवं वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2020 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13. निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/XI/20

(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री सीबेक अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2020/00048 (48/2020) 223 आरटीएक्ट

1. भागीरथ पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरलाल
3. भजनलाल
4. भोजराज

(2–4) पि0 सुल्तान जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।–अपीलाण्ट

बनाम

1. इमीलाल पुत्र डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. सोहनलाल पुत्र डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (फौत)
   - 2/1 विमला पत्नी सोहनलाल
   - 2/2 प्रकाश पुत्र सोहनलाल
   - 2/3 सुरेन्द्र पुत्र सोहनलाल

   (2/1–2/3) रावतसर जिला हनुमानगढ।
   - 2/4 सरोज पुत्री सोहनलाल पत्नी भजनलाल जाति जाट गोदारा साकिन करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   - 2/5 विनोद पुत्री सोहनलाल पत्नी कालूराम जाति जाट गोदारा साकिन करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. भागीरथ
4. किशनी

(3–4) पुत्र पुत्री डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवावली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

5. गीता पुत्री डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (फौत)
   - 5/1 ओमप्रकाश पुत्र
   - 5/2 पप्प दूवी पुत्री
   - 5/3 भंवरी देवी पुत्री
   - 5/4 रायसाहब पुत्र
   - 5/5 श्रवण पुत्र
   - 5/6 शारदा पुत्री

   (5/1–5/6) जाति जाट सानिक हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. सन्तो पुत्री डूंगर जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. अर्जनराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. कमला पुत्री बीरबल पत्नी लाधु जाति जाट निवासी नांगी तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

9. गुलाबी पुत्री बीरबल पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. महावीर पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
11. राकेश पुत्र सन्तराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
12. दर्शना पुत्री सन्तराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
13. गौमती पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. रामेश्वरी पत्नी सुल्तान जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.02.2020 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0स0 392/2017 पुराना 178/96 बअनवानी डूंगर आदि बनाम बीरबल आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

रूबरू श्री विजय कौशिक अधिवकता अपीलाण्ट, श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 10 ता 12 व 14, श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, 2/1 से 2/5, 5/2, 5/3, 5/6, श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 15 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2020 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। डिक्री आज दिनांक 16.11.2020 को मेरे हस्ताक्षरों से जारी की गई।

16/11/20

(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner